FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम)

राष्ट्रीय ~~सजस्व~~ लोक अदालत 14.05.2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर	सुमन पत्नी कुनणमल जाट सोहनी डूडी पत्नी रीछपाल जड़ावटा जाति जाट नि. चारणवास

किस्म मुकदमा प्रार्थना–पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957

प्रार्थना–पत्र नम्बर – 69 / 2022 **GCMS No. 2022/139**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.05.2022	राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से प्रार्थना–पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के तहत अप्रार्थीगण विरूद्व प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वास्ते सुनवाई पत्रावली दिनॉक 14.05.2022 को में पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी(नागौर)	
14.5.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का अलवोकन किया गया। **ग्राम चारणवास पटवार मण्डल चारणवास तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 448 / 181** में जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू– अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात चालू नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, रिपोर्ट पटवारी हल्का परिशिष्ट " ए " सहमति पत्र, एवं अभिशंषा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा की गई है। खातेदारान द्वारा सहमति प्रदान की गई है। जो शामिल मिसल उपलब्ध है। सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थना–पत्र काबिल स्वीकार योग्य है,अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक से लिखाया जाकर संलग्न मिसल रहे। तहसीलदार कुचामनसिटी आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कुचामनसिटी (जिला-नागौर) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	10

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)